न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी: श्रीमति नीलोफर तोमर,आर.जे.एस.
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.- 373/2022 पुलिस थाना अकबरपुर, अलवर
सीआईएस नंबर ः-87/2022

1- हुकम सिंह पुत्र श्रीनारायण निवासी कटारा पुलिस थाना अकबरपुर जिला अलवर राजस्थान।

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य।

अपराध अंतर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम
जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान सहायक अभियोजक अधिकारी, राज्य की ओर से।
2- श्री पी.सी. मीणा, विद्वान अधिवक्ता-प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

-आदेशः-

दिनांकः- 29-10-2022

प्रार्थी/अभियुक्त **हुकम सिंह पुत्र श्रीनारायण** की ओर से जमानत आवेदन-पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई।

बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई एवं अनुसंधान पंजिका का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मनोज कुमार, एएसआई पुलिस चौकी अकबरपुर थाना मालाखेडा द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना मालाखेडा में इस आशय की पेश की कि दिनांक 02-06-2022 को मन एएसआई मनोज कुमार मय कांस्टेबल इंद्राज नंबर 1827 व कांस्टेंबल प्रहलाद नंबर 2072 मय अनुसंधान किट मय लेपटाप प्रिंटर मय वाहन सरकारी जीप्सी के लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु पुलिस चौकी अकबरपु से समय 6 पीएम पर रवाना होकर गश्त रिसाला, खेडका, कस्बा अकबरपुर, धवाला, करता हुआ समय 6.30 पीएम पर कटारा स्कूल के पास पहुंचा तो जरिये मुखबीर खास के इत्तला मिली की एक व्यक्ति जो पेंट शर्ट पहने हुये है जिनका नाम हुकम सिंह है जो गांव कटारा में अपने घरों के पीछे एक प्लास्टिक के सफेद रंग की जरीकेन अवैध हथकड शराब भरी हुयी है जो अपने हाथ में लेकर बेचने एवं कहीं जाने की फिराक में खडा है, तुरंत मौके पर पहुंचे तो माल सहित पकडा जा सकता है। इत्तला विश्वसनीय होने पर इत्तला से हमराही जाप्ता को अवगत कराते हुये रवाना होकर समय 6.40 पीमए पर गांव कटारा पहुंचा तो मुखबीर खास के बताये अनुसार हुलिया का एक व्यक्ति प्लास्टिक के सफदे रंग की जरीकेन क्षमता 10 लीटर को लेकर खडा था जो बावर्दी पुलिस जाप्ता व सरकारी वाहन को देखकर जरीकेन को छोडकर पहाडी की तरफ भागने लगा जिस पर कांस्टेबल इंद्राज 1827 को जरीकेन के पास छोडकर मन एएसआई मनोज कुमार मय हमराही जाप्ता के पीछाकर पकडना चाहा लेकिन पहाडी में सघन झाडियों एवं पेड होने के कारण भागने में सफल हुआ। भागने वाले व्यक्ति को बीट कांस्टेबल प्रहलाद ने पहचान कर बताया कि उक्त व्यक्ति हुकम सिंह पुत्र श्रीनारायण निवासी कटारा होना बताया। उक्त शक्स हुकम सिंह द्वारा छोडी गयी

सफेद रंग की जरीकेन को खोलकर मन एएसआई मय हमराही जासा द्वारा सूंघकर व चखकर चैक किया तो अवैध हथकड शराब देशी करीब 10 लीटर भरी हुयी थी.....इत्यादि। अभियुक्त को दिनांक 28-10-2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में दिनांक 29-10-2022 को पेश किया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। तत्पश्चात अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार का अनुसंधान व बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजक अधिकारी ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अनुसंधान पंजिका का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा सफेद रंग की जरीकेन में करीब 10 लीटर हथकड शराब को भरकर अपने कब्जे में रखा तथा जिसको रखने व बेचने का अनुज्ञापत्र उसके पास नहीं था, जो गंभीर प्रकृति का आरोप है। केस डायरी का अवलोकन करें तो अभियुक्त **हुकम सिंह** के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकार्ड संलग्न है जो निम्न हैः-

1- मु०नं० 42/08 दिनांक 13-10-08 थाना आबकारी अलवर धारा 16/54 एक्साईज एक्ट
2- मु०नं० 1/22 दिनांक 01-10-22 धारा 16/54 एक्साईज एक्ट जैर तफतीश थाना अकबरपुर

इस प्रकार के अपराधों में दिनोदिन बढोतरी हो रही है। यदि इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में विपरीत सन्देश जावेगा। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं कारित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **हुकम सिंह पुत्र श्रीनारायण** को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **हुकम सिंह पुत्र श्रीनारायण** का उक्त जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(श्रीमति नीलोफर तोमर)

आदेश आज दिनांक 29-10-2022 को मेरे द्वारा लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(श्रीमति नीलोफर तोमर)